© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 07 Issue: 01 | January – March 2016

आर्थिक स्वावलंबन और महिला सशक्तीकरण

डॉ. राम मेहर सिंह,
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्द।

आज इस बात की है कि महिलाओं में स्वयं की ताकत के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे केवल महिलाओं का कल्याण ही नहीं होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। महिलाएं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागत नहीं करेंगी। तब तक कोई बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं कर सकता।

पंचायतों में एक तिहाई पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रविधान 73 वें संविधान द्वारा किया गया। कई राज्यों में इसे बढ़कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप पूरे देश में लगभग 17 लाख महिलाएं पचायतों के कामकाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई हैं। अब संसद में और विधानसभाओं में भी 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा प्रक्रिया में है। इसका राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएं अपने आपकों एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तीकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वह तो स्वयं में उत्पन्न होना आवश्यक है।

शिक्षा का प्रभावी प्रबन्ध

यदि हम चाहते हैं कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शिक्षा में पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि वे किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश ले भी लेती हैं तो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती हैं। अब प्रत्येक पंचायत में एक माध्यमिक शाला बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब क्या कारण है कि गांव की प्रत्येक लड़की आठवीं कक्षा तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है? भारत सरकार ने 6-14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का कानून भी 1 अप्रैल, 2010 से लागू कर दिया है।

गांव में प्रत्येक परिवार के लिए जरूरी हो कि सभी लड़कियां दसवीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। लड़कियों के लिए बारहवीं तक ही शिक्षा नि:शुल्क है। इन सुविधाओं के होते हुए भी लड़कियों को छोटे-मोटे घरेलू कामकाज में लगाए रखकर उनको जीवन भर के लिए अशिक्षित छोड दिया जाता है। माता-पिता, अभिभावकों को समझा-बुझाकर, दंड देकर, सुविधाओं को प्रतिबंधित करके बाध्य करें, जिससे बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। गांवों के विद्यालय में जाकर जांच करें कि नियमित स्कूल आने वाले लड़कें एवं लड़कियों की संख्या में इतना अन्तर क्यों है? दलित और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं में शिक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। महिलाओं में शिक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है। महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति शिक्षा से पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को जानकर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओ का लाभ उठा सकेंगी।

स्वस्थ्य के प्रति जागरूकता

महिला को सबल बनाने में पंचायतों का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप उनक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयास किया है परन्तु अशिक्षा, रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं जागरूकता की कमी के कारण आज भी मातृ-मृत्यु दर 677 प्रति लाख है। इसको कम करने के लिए उन्हें स्वयं आगे आकर इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करना होगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। वहां की व्यवस्था का जिम्मा पंचायतों पर है। पंचायते यह देखे के उपस्वस्थ्य केन्द्र पर महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, बच्चें को जन्म देने, उनकी देखरेख करने आदि की समस्त सुविधाओं का विस्तार हो। बच्चों के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध रहे। यदि रोगी को अस्पताल में भर्ती

किया जाना है तो उसके लिए समस्त व्यवस्थाएं केन्द्र पर विकसित की जाएं । परिवार में महिला एवं बालिका के बीमार होने पर लम्बे समय तक उपचार की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती है? टोने-टोटके एवं देवताओं की शरण लेने की प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित अनेक परेशनियां बनी रहती है। पंचायते महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु विशेष प्रबन्ध करें।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना

एक महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं को करना पड़ता है। परन्तु महिलाओं के श्रम पूर्णत: अवैतनिक रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिले। इसके लिए उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा। उन्हें गांव की स्थानीय महिला प्रशिक्षकों से मदद की जरूरत भी रहेगी। आठवीं तथा दसवीं पढ़ने वाली बालिकाओं को सामान्य शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर वे अपना रोजगार कर सकेंगी। इससे परिवार की आय में वृद्धि होगी।

कौशल विकास कर क्षमताओं को बढ़ाना

लड़कियों के घरेलू कामकाज पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है परन्तु बाहर के कामकाज को सीखने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा, तो उनमें वे कार्य करने के कौशल किस प्रकार विकसित होंगे? क्रय-विक्रय करना, बैक व कार्यालय के काम, बैठकों में भाग लेना, समूह गठन करना, उद्योग -धन्धों का संचालन जैसे अनेक कार्य हो सकते हैं। यदि महिलाएं इन कार्यो को करेंगी तो उनके कौशल का विकास होगा। अपनी क्षमताओं को पहचानकर वे अपने एवं परिवार के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकेंगी।

महिलाओं को इस प्रकार की दक्षता या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिल सके। जैसे-कताई-बनाई, सिलाई-कढ़ाई, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, मसाले-दालें पैकिंग, अचार-मुरब्बा बनाना, फल-सब्जियों का परिरक्षण, फ्रूड प्रोसेसिंग, शर्बत-स्कवेश, जैम, जैली, सॉस, बड़ी, पापड़ बनाना, कपड़े व रेग्जीन के बैग, कागज की थैलियां बनाना आदि।

गांवों पंचायतों द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवनों में प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। उनमें सिलाई-कढ़ाई, बुनाई आदि की मशीनें लगा सकते हैं। उन्नत कृषि एवं डेयरी की जानकारियां कराई जा सकती हैं। इन कार्यो को सिखाने के लिए स्थानीय अथवा बाहर के प्रशिक्षकों को बुलाकर थोड़े-थोड़े समय के बाद कार्य सिखाया जाए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि वे ठीक तरह से कार्य करना सीख जाएं एवं उसे राजगार के रूप में अपना लें।

स्वरोजगार बढ़ाने का कारगर हथियार : स्वयंसहायता समूह

यदि हम थोड़ी बहुत बचत करने की आदत बनाए तो एक बड़ी पूंजी बन सकती है। महिलाएं मिलकर स्व्यंसहायता समूह का निर्माण करें। ये स्वयंसहायता समूह रोजगार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पंचायतें इस दिशा में पहले करें, लोगों को एकत्र कर स्वयंसहायता समूह निर्माण की योजनाओ व उसके फायदे से महिलाओं को अवगत कराएं। इस कार्यक्रम से स्व-बचत की आदत का विकास होता है। गैर-जरूरी खर्चों पर अंकुश लगता है। एक -दूसरे की सहायता करने से सामाजिक समस्याओं में कमी आती है। बिना किसी पंजीकरण की औपचारिकता के दस-बीस व्यक्ति इस प्रकार के समूह गाठित कर सकते हैं। कोष से आवश्यकतानुसार ऋण ले सकते हैं। अपने समूह के नियम बना सकते हैं। रोजगार के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं। स्वयंसहायता समूह छोटे बैंकों की भांति कार्य करते हैं। सदस्य खुद अपना हिसाब-किताब रखते हैं। ऐसे समूहों को बैंक भी ऋण प्रदान करता है। इस हेतु बैंक यह देखते हैं कि स्वयंसहायता समूह कम से कम छह माह पुराने अवश्य हो। बचत राशि से अपने सदस्यों को ऋण सुविधा देने से सक्षम हो। समूह का स्वरूप लोकतांत्रिक हो। प्रत्येक सदस्य सहायता और सुविधाओं का अधिकारी हो। इस प्रकार के बचत समूह पूंजी एवं सहयोग द्वारा रोजगार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में रोजगार

लगातर बढ़ रही जनसंख्या और श्रम शक्ति के लिए कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है पंचायतें ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें बेरोजगार परिवारों को गैर-कृषि योग्य भूमि, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें। उन्हें नियमानुसार एवं निश्चत समय के लिए इन भूमियों का आवंटन कर गांव की बेरोजगारी मिटाई जा सके।

पंचायत में लोगों को छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास में लगाया जाना चाहिए। यदि गांवों में पानी इकट्ठा किया जाए तो खेतबाड़ी का कार्य करना संभव हो सकेगा। मनरेगा में इन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। लोगों को उन्नत किस्म की फसलों, सब्जियों को उगाने की नवीन तकनीक की जानकारी कराई जानी चाहिए। समय-समय पर कृषि विशेषज्ञों को पंचायत में आमन्त्रित कर लोगों की जानकारी बढ़ाई जानी चाहिए।

पशुपालन में रोजगार

हमारे देश में रोजगार के क्षेत्र में कृषि की प्रधानता सदियों पुरानी है। पशु सदैव ही कृषि कार्यों में सहायक रहे हैं। दूध देने वाले पशुओं विशेष रूप से गायों की उत्तम किस्म से डेयरी व्यवसाय चलाया जा सकता है। ग्रामीण परिवार की रीढ़ कही जाने वाली बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी की महत्ता आज के जेट युग में भी कम नहीं हुई है। टैक्ट्रर के इस युग में भी बैलां से हल जोतना आवश्यक है क्योंकि हमारे यहां अधिकांश क्षेत्रों में खेती की जोत छोटी है।

पशुओं का गोबर बहुत उपयोगी है। गोबर से बने उपले (कंडे) ईंधन के रूप में काम आते हैं। अंधाधुंध कटते हुए जंगल को बचाने की दिशा में सूखा गोबर ईंधन के रूप में काम आता है। आजकल गोबर गैस संयंत्र की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी तथा रसोई गैस एवं उत्तम खाद की जरूरत सर्वविदित है।

पशुपालन के परम्परागत व्यवसाय को लाभकारी बनाने की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में आज भी हमारे गांवों में बहुत संभावनाएं हैं। दूध, दही, मक्खन, घी, चर्म, अस्थि, ऊन तथा सींगों आदि से बने विभिन्न उत्पादों से लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग चलाए जा सकते हैं। पशुपालन द्वारा ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है। पंचायतें चारागाह का विकास करें। पंचायते महिलाओं की सहकारी समितियां बनाकर पशुपालन को ग्रामीण रोजगार का आधार बना सकती हैं।

ग्रामीण लघु एंव कुटीर उद्योग

छोटे उद्योग गांवों की अर्थव्यवस्था के निर्माण का महत्वपूर्ण अंग हैं। कृषि क्षेत्र के बाद छोटे उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस क्षत्र में स्वरोजगार की काफी अधिक संभावनाएं रहती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय संसाधनों तथा मानव श्रम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। हमारे देश में कृषक लगभग आधे समय तो बेकार ही रहता है क्योंकि उसके पास न तो पर्याप्त भूमि होती है और न ही खेती-बाड़ी का पर्याप्त कार्य। ऐसे में यदि महिलाएं स्थानीय कृषि उत्पादन एवं वहां की आवश्यकताओं में तालमेल रखते हुए छोटे उद्योग लगाएं तो रोजगार भी मिलेगा एवं गांव का आर्थिक विकास भी होगा।

उद्योग लगाने का प्रशिक्षण देने के लिए पंचायते जानकार लोगों को गांव में बुलाएं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। परम्परागत उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने माल की गुणवत्ता बढ़ाने, लागत कम करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से सफलता बढ़ जाती है। पूंजी निर्माण में महिलाओं के स्वयंसहायता समूह मदद कर सकते हैं। गांवों में हाट बाजार लगाकर माल बेचने का प्रबन्ध किया जा सकता है। पंचायतें इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करें तो महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी।

वनों एवं खनन में रोजगार

जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने चारागाहों और वनों को करीब-करीब समाप्त कर दिया है। बस्तियां बसाने, कारखाने का निर्माण तथा विस्तार एवं आवागमन के बढ़ते जाल में वनों को नष्ट कर दिया है। यदि वन विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए तो वनों से स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वनों का विस्तार करने के लिए वृक्ष लगाना व उसका संरक्षण करना रोजगार का एक प्रमुख साधन बन सकता है। जहां भी संभव हो पेड़ लगाएं और वन समितियां बनाकर उनकी रखवाली की जाए। पेड़ से प्राप्त लाभ को पंचायत एवं लोगों में न्यायपूर्वक बांट दिया जाए। जंगलों से इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी, दवाइयां, पत्ते, गोंद, फल-फ्ल आदि अनेक फायदे हैं, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा एवं वर्षा में मदद मिलती है। वनों से तो अंनतकाल तक रोजगार मिलता रहता है।

यदि पंचायत क्षेत्र में खनिज उपलब्ध है तो उसमें भी रोजगार की संभावनाएं हैं। पत्थर, ईंट का गारा, चूना इमारती पत्थर आदि साधनों का उपयोग बढ़ाने में किया जा सकता है। पंचायते इन साधनों का नियन्त्रित उपयोग करने की व्यवस्था कायम करें तो लम्बे समय तक से साधन महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं।

पर्यटन में रोजगार

बगैर किसी उत्पादन के रोजगार देने वाला व रोजगार प्रदान करने में सक्षम पर्यटन आज एक प्रमुख उद्योग है। क्या हमारी पंचायतें पर्यटन के इस बढ़ते महत्व को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ा सकती हैं? हमारी पंचायतें यह देखें कि क्या पंचायत क्षेत्र की कला-संस्कृति, ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल लोगों का मनोंरजन कर सकते हैं? गांवों की हवेलियां, बावड़ियां मंदिर, खान-पान, रहन-सहन, तीज-त्यौहार, मेले आदि लोगों के आकर्षण का केन्द्र हो सकते हैं।

पंचायतें अपने क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश कर इसके विपणन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। पंचायतें पर्यटन-स्थल पर बुनियादो सुविधाओं का विकास करें। इसमें सड़कें, यातायात व संचार के साधन, विश्राम स्थल, दैनिक जरूरत की वस्तुओं आदि की व्यवस्थाएं करनी होगी। सुरक्षा की और भी ध्यान देना होगा।

परम्परागत पारिवारिक रोजगार

वस्तुत: पारिवारिक रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था रूपी माला में गूंथे हुए मणियों की भांति थे जिसका स्तम्भ खेती था। इन परम्परागत धन्धों में बिखराव की वजह से आज यह माला छिन्न-भिन्न हो चुका है। परिणास्वरूप कृषि व्यवस्था के साथ-साथ समस्त ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये धन्धे धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं। इनमें कुछ इस प्रकार का बदलाव आ रहा है कि ग्रामीण धन्धे होते हुए भी गांवों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

ग्रामीण परिवेश में मौजूद गरीबी व बेरोजगारी के वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं। परन्तु इनमें से एक महत्वपूर्ण कारण गांवों के परम्परागत उद्योग-धन्धों में कमी होना है। ये धन्धे गांवों की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का जीवनाधार थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप प्रदान करने में सहयोग देते थे। गांवों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में पारिवारिक व्यवसाय के रूप में हजारों वर्षों से कार्य हो रहा था। इसके अनेक लाभ भी थे। इसलिए आज की नई पीढ़ी का सेवा व्यवसाय में कार्यरत रहना व्यावहारिक एवं लाभदायक है। पारिवारिक सेवा रोजगार के फायदे-

- अ सेवा रोजगार में अधिक पूंजी की जरूरत नहीं रहती है।
- अ गांव में रहकर ही आसपास की जगहों मे कार्य मिल जाता है।
- अ सेवा कार्यो को सीखना कठिन नहीं रकता है।
- अ अपने परिवार के सेवा कार्य को अपनाया जा सकता है।
- अ सेवा कार्यो के साथ घर एवं खेतीबाड़ी का कार्य भी किया जा सकता है।
- अ सेवा कार्य पीढ़ी-दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- अ अपने घर से ही सेवा कार्यो को संचालित किया जा सकता है।
- अ दुकान एवं जमीन आदि की जरूरत नहीं रहती है।
- अ परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग भी मिल जाता है।
- अ कार्य करने का समय सुविधानुसार तय किया जा सकता है।
- अ शहर में आने-जाने, रहने का खर्चा नहीं लगता है। समय व श्रम की बचत होती है।
- अ पीढ़ी -दर -पीढ़ी कार्य करते रहने से सेवा में निहित कौशल विकसित होता रहता है।

निर्णय लेने की क्षमता का विकास

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चंहुमुखी विकास किया जाए। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ाया जाए। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। पुरूषों की रूढ़िगत सोच मे बदलाव लाना होगा। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। जब महिला पंचों, सदस्यों एवं अन्य प्रतिनिधियों को पुरूष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है। तब अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें खुद तो तैयार रहना ही पड़ेगा, साथ ही स्थानीय लोग एवं सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं सभी मिलकर उन्हे पूरा सहयोग प्रदान करें। महिलाओं को भी छोटे-छोटे समूह बनाकर विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करना होगा। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घरके कामकाज के साथ ही वे ग्रामसभा व पंचायते की बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, उनका क्रियान्वयन करने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू कराने में सक्षम बनेंगी।

अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाएं अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारी के साथ ही अपने कर्त्तव्यों की भी जानकारी करवाई जानी आवश्यक है। उन्हें समाज में पुरूषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज में पुरूषों और महिला दोनो ही मिलकर परिवार रूपी गाड़ी को चलात है। समाज में ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिससे कानूनी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों व कर्त्तव्यों की ठीक से जानकारियां हो सकें। विचार-विमर्श, सभा, सम्मेलनों व साहित्य के माध्यम से इन जानकारियों को निरन्तर बढ़ाने के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। पचांयते इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए उपाय करती रहें।

मनरेगा योजना के द्वारा अधिकाधिक महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण का उद्देश्य पूरा हो सके। रोजगार के अतिरिक्त उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना भी जरूरी है। निर्णय में भागीदारी एवं महिलाओं की अपनी सक्रियता से सशक्तीकरण के ध्येय को पूरा किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला सशक्तीकरण : डॉ बलबीर सिंह
2. नारी शिक्षा : एक महत्वपूर्ण पहल : डॉ. प्रदीप कुमार
3. विकास और महिला: डॉ. विश्वकान्ता प्रसाद
4. महिला और समाज : डॉ. शिव प्रसाद
5. महिला उत्पीड़न : डॉ. अशोक कुमार
6. नारी जीवन और चुनौतियां : डॉ. चन्द्रमणि सिंह
7. नारी के बढ़ते कदम : डॉ. विनय कुमार
8. भारत में महिला शिक्षा : डॉ. कांति कुमार
9. नारी जीवन : विनोद सिंह